



प्रेषक,

पनधारी यादव,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन्स सेण्टर, उ.प्र.,
लखनऊ।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अनुभाग

लखनऊ: दिनांक: 04 मई, 2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2026-27 में 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में स्वीकृत आय-व्ययक के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति जारी किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-आर.एस.ए.सी./लेखा./2026-27/114, दिनांक 15.04.2026 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2026-2027 में अनुदान संख्या-070 के अधीन लेखा शीर्षक 3425 अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान-60-अन्य-200-अन्य वैज्ञानिक निकायों को सहायता-05-रिमोट सेंसिंग एजेन्सी को अनुदान 20-सहायता अनुदान- सामान्य (गैर वेतन) मद में कुल स्वीकृत आय-व्ययक ₹2500.00 लाख के सापेक्ष प्रथम त्रैमासिक किश्त ₹625.00 लाख में से गत वित्तीय वर्ष की अवशेष धनराशि ₹15.35 लाख को समायोजित करते हुए ₹609.65 लाख (रूपये छः करोड़ नौ लाख पैसेठ हजार मात्र) की धनराशि निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन व्यय करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

1. अनुदान के आहरण बिल को अनु सचिव/विशेष सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा।
2. प्रश्रुत स्वीकृति रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन्स सेण्टर, उ0प्र0 द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है यदि बजट के सम्बन्ध में कोई सूचना गलत पाई जाती है तो इसका उत्तर दायित्व रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन्स सेण्टर, उ0प्र0 का होगा।
3. अवमुक्त धनराशि का सक्षम अधिकारी से हस्ताक्षरित उपभोग प्रमाण-पत्र दो प्रतियों में व्यय विवरण सहित शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
4. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 में उल्लिखित शर्तों/निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
5. जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/ केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति, विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
6. व्यय विवरण प्रत्येक मास की 10 तारीख तक वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7 एवं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अनुभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।
7. अवमुक्त की जाने वाली धनराशि का कोषागार से आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय। विभागाध्यक्ष स्तर पर एकमुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

2. इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 070 लेखा शीर्षक 3425 अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान-60-अन्य-200-अन्य वैज्ञानिक निकायों को सहायता-05-रिमोट सैनिंग एजेन्सी को अनुदान 20-सहायता अनुदान- सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।
3. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(पनधारी यादव)
प्रमुख सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- (1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज/लखनऊ।
- (2) महालेखाकार (लेखापरीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- (3) निदेशक, स्थानीय निधि लेखा-परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- (4) कोषाधिकारी, लखनऊ।
- (5) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7, उत्तर प्रदेश शासन।
- (6) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
- (7) राज्य योजना आयोग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
- (8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(विनोद कुमार गौतम)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।